भाग 1

क

न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डीडवाना, जिला डीडवाना कुचामन, राजस्थान	
पीठासीन अधिकारी	**: ज्ञानेन्द्र सिंह, आर.जे.एस.**
निर्णय दिनांक	**: 22.07.2026**
सीआईएस संख्या	**: 819/2021**
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	**: 819/2021**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	**: 205/2021**
पुलिस थाना	**: खुनखुना, जिला डीडवाना–कुचामन।**
परिवादी	राजस्थान राज्य
प्रस्तुत द्वारा	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण	
01	अहमद अली पुत्र श्री मोहम्मद अली, उम्र 37 साल, निवासी बरनेल, पुलिस थाना बड़ी खाटू, जिला नागौर।
विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त	श्री सैयद अल्ताफ हुसैन व श्री जितेन्द्र सिंह।

ख

घटना की दिनांक	20.10.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	20.10.2021
आरोप पत्र पेश किए जाने की दिनांक	17.12.2021
आरोप विरचित किए जाने की दिनांक	17.12.2021

साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की दिनांक	17.12.2021
निर्णय सुरक्षित रखे जाने की दिनांक	22.07.2026
निर्णय सुनाए जाने की दिनांक	22.07.2026
सजा आदेश यदि हो तो	दोषमुक्त

ग

अभियुक्त की सूचना

क. स.	नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	न्यायालय से जमानत की दिनांक	अपराध धारा	दोषमुक्त / दोषसिद्ध	अधिरोपित सजा	धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में समायोजन समयावधि
01	अहमद अली	जमानतीय अपराध	17.12.2021	279, 337, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता 1860 व धारा 134/187 मोटर यान अधिनियम, 1988	दोषमुक्त	दोषमुक्त	– निल–

भाग 2

अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय गवाह सूची

कः अभियोजन गवाह

क्रम	नाम	साक्ष्य प्रकृति
पीडब्ल्यू 01	श्री नूर मोहम्मद	परिवादी एवं रिपोर्टकर्ता
पीडब्ल्यू 02	श्री युसुफ खान	प्रत्यक्षदर्शी/पंच गवाह (नक्शा मौका, जब्ती, पंचनामा, सुरतहाल एवं सुपुर्दगी)
पीडब्ल्यू 03	श्री लाल मोहम्मद	पंचनामा गवाह
पीडब्ल्यू 04	श्री अजीज खान	पंचनामा, सुरतेहाल लाश एवं सुपुर्दगी
पीडब्ल्यू 05	श्री मोइनुदीन	ट्रैक्टर जब्ती का गवाह
पीडब्ल्यू 06	श्री शेर मोहम्मद	परिस्थितिजन्य गवाह (दुर्घटना के बाद घटनास्थल एवं अस्पताल पहुँचा)
पीडब्ल्यू 07	श्री आसिफ	ट्रैक्टर का पंजीकृत स्वामी, धारा 133 मोटरयान अधिनियम के नोटिस का जवाब
पीडब्ल्यू 08	श्री अमीर असलम	मैकेनिकल निरीक्षक (एमटीओ)
पीडब्ल्यू 09	डॉ. श्री रविन्द्र सिंह	चिकित्सकीय गवाह (चोट परीक्षण एवं पोस्टमार्टम)
पीडब्ल्यू 10	श्री बंशीलाल	अनुसंधान अधिकारी
पीडब्ल्यू 11	श्री अशरफ खान	परिस्थितिजन्य गवाह (पक्षद्रोही घोषित)
पीडब्ल्यू 12	श्री झूमरराम	घायल प्रत्यक्षदर्शी (पक्षद्रोही घोषित)

अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज सूची

खः अभियोजन दस्तावेज सूची

क्रम	प्रदर्श	विवरण
1	**प्रदर्श 01**	लिखित रिपोर्ट
2	**प्रदर्श 02**	चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)

3	**प्रदर्श 03**	नक्शा मौका
4	**प्रदर्श 04**	ट्रैक्टर जब्ती फर्द
5	**प्रदर्श 05**	फर्द पंचनामा
6	**प्रदर्श 06**	फर्द सुरतेहाल लाश
7	**प्रदर्श 07**	शव सुपुर्दगी रसीद
8	**प्रदर्श 08**	धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम 1988 का नोटिस एवं उत्तर
9	**प्रदर्श 09**	ट्रैक्टर सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र
10	**प्रदर्श 10**	सुपुर्दगीनामा
11	**प्रदर्श 11**	ट्रैक्टर का मैकेनिकल निरीक्षण प्रतिवेदन (एमटीओ रिपोर्ट)
12	**प्रदर्श 12**	घायल झूमरराम का चोट प्रतिवेदन
13	**प्रदर्श 13**	मृतक नियामत अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
14	**प्रदर्श 14**	चालक अहमद अली को धारा 134 मोटर वाहन अधिनियम 1988 का नोटिस एवं उत्तर
15	**प्रदर्श 15**	ट्रैक्टर के पंजीकृत स्वामी संबंधी प्रमाणित प्रतिलिपि (डीटीओ रिकॉर्ड)
16	**प्रदर्श 16**	आरोप पत्र (Charge-sheet)
17	**प्रदर्श 17**	गवाह अशरफ खान का पुलिस कथन
18	**प्रदर्श 18**	गवाह झूमरराम का पुलिस कथन

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 22 जुलाई, 2026

01. प्रकरण में आरोप पत्र श्रीमान न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष दिनांक 17.12.2021 को प्रस्तुत किया गया हैं तथा प्रकरण इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त होने पर इस न्यायालय में दिनांक 07.07.2025 को दर्ज किया गया है।

02. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी नूर मोहम्मद (आगे **परिवादी** से उल्लेखित) ने राजकीय चिकित्सालय, छोटी खाटू पर तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 श्री भैराराम, एचसी 712, पुलिस थाना खुनखुना के समक्ष इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत की कि दिनांक 20.10.2021 को प्रातः लगभग 08:00 बजे उसका भतीजा नियामत अली पुत्र लुकमान खां (आगे **मृतक** से उल्लेखित) तथा झूमरराम पुत्र छोगाराम (आगे **आहत** से उल्लेखित) एच.पी. गैस एजेंसी से आगे कोड़िया रोड़ पर सड़क के किनारे खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी समय **ट्रैक्टर नम्बर RJ-10 RC-3185** (आगे **प्रश्नगत वाहन** से उल्लेखित) का चालक **अहमद अली पुत्र मोहम्मद अली** (आगे **अभियुक्त** से उल्लेखित) ट्रैक्टर को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया तथा ट्रैक्टर को मृतक के ऊपर पलट दिया। उस समय मृतक सड़क के किनारे अपनी ओर खड़ा था। ट्रैक्टर के नीचे दब जाने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा साथ खड़े आहत को भी चोटें आई। दुर्घटना के दौरान ट्रैक्टर चालक अभियुक्त भी ट्रैक्टर से उछलकर दूर गिर गया। घटना की सूचना आहत द्वारा परिवादी एवं उसके परिवारजनों को दी गई। जिस पर वे घटनास्थल पर पहुँचे तथा मृतक के शव को राजकीय चिकित्सालय, छोटी खाटू की मोर्चरी में रखवाया। इत्यादि। उक्त रिपोर्ट उसके आधार पर पुलिस थाना खुनखुना पर प्रथम सूचना संख्या 205/2020, अन्तर्गत धारा 279,

337, 304ए भारतीय दण्ड संहिता 1860 (आगे **संहिता** से उल्लेखित) के अपराधों के लिये पंजीबद्ध कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्व संहिता की धारा 279, 337, 304ए व 134/187 मोटरयान अधिनियम, 1988 (आगे **अधिनियम** से उल्लेखित) के अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उक्त अपराधों के लिए आरोप पत्र न्यायालय में दिनांक 17.12.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर उक्त दिनांक को ही अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र में उल्लेखित अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. दिनांक 17.12.2021 को अभियुक्त को संहिता की धारा 279, 337, 304ए व अधिनियम की धारा 134/187 (आगे **आरोपित अपराध** से उल्लेखित) के अपराधों का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप सुन समझकर अपराध से इंकार किया व अंवीक्षा चाही।

04. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराधों को साबित करने के लिये इस निर्णय के भाग 02 के अनुसार मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई। गवाह श्री अहमद अली (अभियुक्त), श्री ओमप्रकाश व श्री धर्पाल सिंह को अभियोजन अधिकारी ने तर्क कर अभियोजन ने अपनी साक्ष्य दिनांक 27.03.2026 को समाप्त की।

05. अभियुक्त का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (आगे **प्रक्रिया संहिता** से उल्लेखित) के तहत परिक्षण दिनांक 22.07.2026 को किया गया तो अभियुक्त ने अपने विरुद्ध आई अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया और कथन किया कि वह निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने साक्ष्य प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने से इंकार किया।

06. बहस अन्तिम उभय पक्षों की सुनी गई।

07. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होने का कथन करते हुए अभियुक्त को आरोपित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया जाकर विधिनुसार दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

08. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उपरोक्त तर्को का विरोध किया तथा यह तर्क दिया हैं कि प्रकरण का परिवादी नूर मोहम्मद घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। तहरीर रिपोर्ट में ही आहत झूमरराम द्वारा जानकारी देने का तथ्य अंकित किया गया है। गवाह के रूप में परीक्षित होने पर भी परिवादी ने दुर्घटना देखने से इंकार किया है। प्रश्नगत वाहन का नम्बर मात्र 3185 बताया है। परीक्षित अन्य गवाह युसुफ खान ने भी प्रश्नगत वाहन का नम्बर मात्र 3185 बताया है तथा दुर्घटना देखने से इंकार किया है। तात्विक गवाह आहत झूमरराम जिसे तहरीर रिपोर्ट में नामित किया गया है तथा जिसके शरीर पर इस दुर्घटना में चोटे आई है भी पक्षद्रोही रहा है। अपने पुलिस बयानों का समर्थन नहीं किया है। आरोपित अपराध के संबंध में दिए गए सुझाव को गलत बताया है। परीक्षित अन्य किसी भी गवाह ने दुर्घटना देखने की साक्ष्य नहीं दी है। परीक्षित गवाहों की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। फर्दों से संबंधित गवाहों ने भी उनमें क्या अंकित है? जानकारी होने से इंकार किया है, जिससे अभियोजन फर्दोंत भी प्रमाणित नहीं है। गवाहों की साक्ष्य से प्रश्नगत वाहन की पहचान, अभियुक्त की पहचान व उसका प्रश्नगत आचरण साबित नहीं हुआ है। इस प्रकार अभियोजन संदेह से परे अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्त को दोषमुक्त करने का निवेदन किया है।

09. प्रकरण के निस्तारण के लिये न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि :–

1. ''क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.10.2021 को समय सुबह के करीब 08.00 बजे या उसके लगभग वाकै मौजा आम सड़क कोड़िया रोड़ पर स्थित एचपी गैंस एजेन्सी से आगे वाहन ट्रेक्टर पंजीयन नम्बर आरजे 10 आरसी 3185 पर सवार होकर उसको उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया व ट्रेक्टर का पलटी खिला दी जिससे वहां पर खड़े आहत झूमरराम के इस दुर्घटना में साधारण उपहति कारित हुई व नियामत अली के इस दुर्घटना में आई चोटों के कारण ऐसी मृत्यु कारित हुई जो आपराधिक मानव वध की कोटी में नही आती हैं तथा दुर्घटना कारित करने के बाद अभियुक्त उनको बिना चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाये वहां से भाग गया। इस प्रकार संहिता की धारा 279, 337, 304ए एवं अधिनियम की धारा 134/187 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया"?
2. यदि हां, तो उपर्युक्त का उचित दण्ड क्या होगा?

10. उपरोक्त विचारणीय बिन्दू के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो यह प्रकरण परिवादी नूर मोहम्मद द्वारा राजकीय चिकित्सालय, छोटी खाटू पर श्री भैराराम हैड-कॉस्टेबल, पुलिस थाना मौलासर के समक्ष प्रस्तुत तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श 01, जो उनके द्वारा थाने पर लाकर प्रस्तुत की गई के आधार पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में बाद अनुसंधान प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर अभियुक्त विरूद्ध के विरूद्ध आरोपित अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर संस्थित किया गया है। तहरीर रिपोर्ट में परिवादी ने दिनांक 20.10.2021 को 08.00 बजे उसके भतीजे मृतक नियामत अली व आहत झूमरराम के एचपी गैंस एजेंसी से आगे कोड़िया रोड़ पर बाते कर रहे होने, प्रश्नगत वाहन ट्रेक्टर पंजीयन नम्बर आरजे 10 आरसी 3185 के चालक द्वारा वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर पलटी खिला देने, जिससे इस दुर्घटना में आई चोटों के कारण मृतक की मृत्यु हो जाने व आहत के चोटे आने, चालक अहमद अली होने, घटना की

जानकारी झूमरराम द्वारा देने पर घटनास्थल पर जाने के तथ्य अंकित किए है।

11 क. इस संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो परिवादी नूर मोहम्मद गवाह पीडब्ल्यू 01 व परीक्षित गवाह युसुफ खान गवाह पीडब्ल्यू 02 ने अपनी मुख्य परीक्षा में सारतः समान कथन किए है। तहरीर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराया है। प्रश्नगत ट्रेक्टर का नम्बर 3185 बताये है, अभियुक्त को नामित किया हैं, उसके द्वारा प्रश्नगत वाहन को पलटी खिला देने की साक्ष्य दी है। सुसंगत दस्तावेज प्रदर्श पी–01 लगायत प्रदर्श पी–05 पर अपने अपने हस्ताक्षर बताए है।

प्रतिपरीक्षा में दोनो ही गवाह ने समान कथन किए है तथा यह साक्ष्य दी है कि परिवादी को झूमरराम ने फोन किया था। रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 किसने लिखवाई परिवादी को जानकारी नहीं है? इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उन्होंने घटना होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखी इसलिए वे नहीं बता सकते कि दुर्घटना किस प्रकार से हुई व किसकी गलती से हुई? ट्रेक्टर चालक का नाम व ट्रेक्टर के नम्बर उन्हें किसने बताए? पता नहीं है।

ख. तहरीर रिपोर्ट में नामित व इस प्रकरण में आहत झूमरराम गवाह पीडब्ल्यू 12 पक्षद्रोही रहा है तथा गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में दुर्घटना के संबंध में तो साक्ष्य दी है किन्तु चालक कौन था? नम्बर क्या थे? ट्रेक्टर कैसे चला रहा था? पता होने से इंकार करने पर अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही किया जाकर की गई प्रतिपरीक्षा में अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 18 का आरोपित अपराध से सुसंगत भाग लिखवाने से इंकार किया है। आरोपित अपराध के संबंध में दिए गए सुझाव को गलत बताया है।

ग. अन्य गवाह पीडब्ल्यू 03 लाल मोहम्मद, पीडब्ल्यू 04 अजीज खां मृतक का पंचायतनामा प्रदर्श पी 05 व फर्द सुरतेहाल लाश प्रदर्श पी 06 व फर्द

सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 07 से संबंधित गवाह है। गवाहों ने मुख्य परीक्षा में उक्त फर्दों पर अपने हस्ताक्षर बताए है।

प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि फर्दों में क्या लिखा–पढ़ी की है? पता नहीं है।

घ. गवाह पीडब्ल्यू 05 मोइनुदीन प्रश्नगत वाहन की जब्ती प्रदर्श पी 04 का गवाह है। इस गवाह ने भी प्रतिपरीक्षा में अनपढ़ होने व अंगूठा लगाने, क्या लिखा–पढ़ी की? पता नहीं होने का कथन किया है।

ड़. गवाह पीडब्ल्यू 06 शेर मोहम्मद ने अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीर रिपोर्ट में अंकितानुसार दुर्घटना के संबंध में साक्ष्य दी है। इस संबंध में अपने पास अशरफ का फोन आने का कथन किया है। फर्द प्रदर्श पी 05 पंचनामा पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी। आधे घंटे बाद पहुंचा था। पंचनामा में क्या लिखा–पढ़ी की? उसे पता नहीं है। दुर्घटना कैसे हुई उसे पता नहीं है?

च. गवाह पीडब्ल्यू 07 आसिफ प्रश्नगत वाहन का पंजीकृत स्वामी है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में पुलिस द्वारा दुर्घटना के संबंध में दिये गये नोटिस प्रदर्श पी 08 देने पर स्वयं के हस्ताक्षर व जवाब होने, वाहन न्यायालय से छुड़वाने, इस संबंध में सुपुर्दगी का प्रार्थना पत्र व सुपुर्दगीनामा क्रमशः प्रदर्श पी–09 व प्रदर्श पी 10 होने, वक्त दुर्घटना चालक अभियुक्त होने की साक्ष्य दी है।

प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि ट्रेक्टर उसके पास दो–तीन महीने रहा था। उसने लादूराम जाट को बेच दिया था। दुर्घटना से दो–तीन महीने पहले बेच दिया था। दुर्घटना के दिन ट्रेक्टर उसके नियंत्रण में नहीं था।

छ. गवाह पीडब्ल्यू 08 अमीर असलम ने प्रश्नगत वाहन का मैकेनिकल मुआयना कर रिपोर्ट प्रदर्श पी 11 तैयार करने की साक्ष्य दी है।

प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि वह दुर्घटनास्थल पर नहीं गया था।

ज. गवाह पीडब्ल्यू 09 डॉ. रविन्द्र सिंह ने आहत के शरीर पर आई चोटो का मेडिकल मुआयन कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 12 व मृतक की लाश का पोस्टमोर्टम कर पीएमआर रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 तैयार करने की साक्ष्य दी है। जो औपचारिक साक्षी है।

झ. गवाह पीडब्ल्यू 11 असरफ खां, प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में परीक्षित हुआ है। गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में दुर्घटना के संबंध में तो साक्ष्य दी है किन्तु ट्रेक्टर का चालक कौन था? गाड़ी के नम्बर क्या थे? चालक कैसे चला रहा था? जानकारी होने से इंकार किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही किया जाकर की गई प्रतिपरीक्षा में पुलिस बयान का प्रदर्श पी 17 का आरोपित अपराध से सुसंगत भाग पुलिस को लिखवाने से इंकार किया है। आरेापित अपराध के संबंध में दिए गए सुझाव को गलत बताया है। नक्शा–मौका पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए है।

ञ. परीक्षित गवाह पीडब्ल्यू 10 बंशीलाल प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है। मुख्य परीक्षा में अनुसंधान संबंधी कथन किए है। अनुसंधान जिम्मे होने पर नक्शा मौका बनाने, गवाहों के कथन लेखबद्ध करने, वाहन का मैकेनिकल मुआयना करवाने, अनुसंधान के पश्चात अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली थानाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने, जिनके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करने की साक्ष्य दी है।

प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि नक्शा–मौका बनाते समय घटनास्थल पर घटना के आलामात नहीं मिले थे।

12. इस प्रकार पत्रावली का अवलोकन किया जावें तो तहरीर रिपोर्ट में प्रश्नगत वाहन का नम्बर ट्रेक्टर आरजे 10 आरसी 3185, चालक के रूप में अभियुक्त व उसके द्वारा वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर पलटी

खिला देने के तथ्य अंकित किये गये है। तहरीर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के अनुसार परिवादी घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। सूचना आहत झूमरराम द्वारा देने का तथ्य अंकित किया गया है। परिवादी नूर मोहम्मद व तात्विक गवाह पीडब्ल्यू 02 युसुफ खान ने मुख्य परीक्षा में मात्र वाहन के नम्बर 3185 बताए है। प्रतिपरीक्षा में भी दुर्घटना देखने से इंकार किया है। आहत झूमरमल पक्षद्रोही रहा है। आरोपित अपराध के संबंध में साक्ष्य नहीं दी है। गवाह अशरफ खान ने भी पक्षद्रोही होकर अपने पुलिस बयानों का समर्थन नहीं किया है। परीक्षित अन्य गवाहों की साक्ष्य से अभियोजन फर्दोत भी प्रमाणित नही हैं क्योंकि उन्होने फर्दोंत में क्या अंकित है? जानकारी होने से इंकार किया है। इस प्रकार परीक्षित किसी भी गवाह ने प्रश्नगत वाहन की पहचान, अभियुक्त की पहचान व उसके प्रश्नगत आचरण के संबंध में साक्ष्य नहीं दी है। उपरोक्त समस्त कारणों से अभियोजन अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों के लिये संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रकट होता है।

आदेश

13. अतः अभियुक्त **अहमद अली पुत्र श्री मोहम्मद अली, उम्र 37 साल, निवासी बरनेल, पुलिस थाना बड़ी खाटू, जिला नागौर, राजस्थान** को आरोपित अपराध **संहिता की धारा 279, 337, 304 ए व अधिनियम की धारा 134/187** के आरोप के लिये संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में नियमित उपस्थित बाबत प्रस्तुत जमानत व मुचलके उन्मोचित किये जाते है।

14. प्रकरण में जब्तशुदा प्रश्नगत वाहन न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 29.03.2022 से वाहन स्वामी श्री आसिफ को सुपुदर्गी पर दिया गया है। जिसके संबंध में प्रस्तुत सुपुदर्गीनामा जमानतनामा बाद गुजरने मियाद

अपील/निगरानी उन्मोचित समझे जावे तथा वाहन संबंधित के पास ही बने रहने के आदेश प्रदान किये जाते है।

15. अभियुक्त की ओर से प्रक्रिया संहिता की धारा 437 ए के तहत प्रस्तुत जमानत मुचलके इस निर्णय की दिनांक से छः माह की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेंगे। उक्त अवधि में अपील प्रस्तुत होने पर उनके उन्मोचन का आदेश माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा किया जावेगा व अपील प्रस्तुत नही होने पर स्वतः ही उन्मोचित समझे जावेंगे।

(ज्ञानेन्द्र सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डीडवाना,
जिला डीडवाना कुचामन, राजस्थान।

16. यह निर्णय आज **दिनांक 22 जुलाई,** 2026 को खुले न्यायालय में लिखवाया जा कर सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डीडवाना,
जिला डीडवाना कुचामन, राजस्थान।